भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1

उत्तर देने की तारीख- 04/12/2023

जनजातीय अनुसंधान संस्थान

†1. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणधीन कार्यरत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की नाम/स्थान-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इन टीआरआई ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक टीआरआई को आबंटित, जारी और उनके द्वारा व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन टीआरआई के कार्यकरण की कभी समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इन समीक्षाओं के क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): जनजातीय अनुसंधान संस्थान संबंधित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। 2023 में लद्दाख में टीआरआई की स्थापना के साथ, देश भर में 28 टीआरआई हो गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता के तहत 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्त पोषित किया है। "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता" योजना के माध्यम से मंत्रालय निष्पादन अनुसंधान कार्यक्रमों सहित राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना का मूल उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) और उनकी ढांचागत जरूरतों, अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण गतिविधियों तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि को मजबूत करना है। टीआरआई का नाम और स्थान **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न है।

(ख) और **(ग)**: जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली गतिविधियों का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिन्हें संरक्षित किया और बढ़ावा दिया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) ने जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन, डेटा संग्रह, चुनौतियों की पहचान और विभिन्न

अध्ययनों तथा अन्य प्रकारों के उपायों के माध्यम से उनकी संस्कृति को समझने, बढ़ावा देने और संरक्षित करने का काम किया है। इसके अलावा, हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, और ज्ञान की वकालत, जनजातीय समुदायों की जागरूकता और कल्याण के लिए सांस्कृतिक तथा जनजातीय आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित करने सहित टीआरआई द्वारा सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यों और अध्ययनों के लिए विभिन्न अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। टीआरआई ने राज्य के जनजातीय लोगों के व्यापक विकास के लिए उनकी भाषाई विशेषताओं, अद्वितीय कला रूपों और विशिष्ट कृषि प्रथाओं की रक्षा और प्रचार करने के लिए कई शोध अध्ययन, सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन संस्थानों ने जनजातीय समुदायों की प्रत्येक पहुंच के लिए जनजातीय भाषा में किताबें और शब्दकोश तैयार करके जनजातीय इतिहास और विरासत के दस्तावेज़ीकरण में सुधार किया है। टीआरआई योजना को सहायता के तहत दस जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी गई। 2021 से जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सभी टीआरआई द्वारा किया गया है।

टीआरआई पोर्टल (https://tritribal.gov.in/Home.aspx) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-18 से अब तक क्रियात्मक अनुसंधान, सेमिनार, कार्यशालाएं सम्मेलन आदि से संबंधित 500 से अधिक परियोजनाएं पूरी की जा चुकीं हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान टीआरआई को निधियों का आवंटन/निर्मुक्ति और व्यय का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(घ) से (ङ): मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ समीक्षा बैठकों के माध्यम से टीआरआई की स्वीकृत परियोजना गतिविधियों की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। "टीआरआई को सहायता" योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए 2019 के दौरान नीति आयोग द्वारा एक मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। विभिन्न परियोजनाओं के समय पर और गुणात्मक कार्यान्वयन के लिए समीक्षाएँ उपयोगी और सहायक होती हैं। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, परिणाम-उन्मुख योजना और सेवा वितरण के लिए डेटा-संचालित शासन मॉडल जैसे: जनजातीय रिपोजिटरी, जनजातीय डिजिटल दस्तावेज़ रिपोजिटरी, आदिप्रशिक्षण पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान पोर्टल विकसित किए हैं।

अनुलग्नक- I

दिनांक 04.12.2023 को उत्तर देने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †1 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

टीआरआई का नाम और स्थान

क्र. सं.	राज्य	टीआरआई का नाम	स्थान
1	अण्डमान और निकोबार	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
2	आंध्र प्रदेश	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम
3	अरुणाचल प्रदेश	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	नाहरलगुन
4	असम	असम जनजाति एवं अनुसूचित जाति अनुसंधान संस्थान, असम	गुवाहाटी
5	छत्तीसगढ़	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़	रायपुर
6	गुजरात	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, गुजरात	अहमदाबाद
7	हिमाचल प्रदेश	जनजातीय अध्ययन संस्थान, हिमाचल प्रदेश	शिमला
8	जम्मू और कश्मीर	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
9	झारखंड	जनजातीय कल्याण अनुसंधान संस्थान, झारखंड	रांची
10	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक	मैसूर
11	केरल	केरल अजा/अजजा अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विकास अध्ययन संस्थान, केरल	कोझिकोड
12	मध्य प्रदेश	जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, मध्य प्रदेश	भोपाल
13	महाराष्ट्र	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, महाराष्ट्र	पुणे
14	मणिपुर	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मणिपुर	इंफाल
15	मिजोरम	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मिजोरम	आइजोल
16	नागालैंड	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नागालैंड	कोहिमा
17	ओडिशा	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ओडिशा	भुवनेश्वर
18	राजस्थान	जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान	उदयपुर
19	सिक्किम	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, सिक्किम	गंगटोक
20	तमिलनाडु	जनजातीय अनुसंधान केंद्र, तमिलनाडु	ऊटी
21	तेलंगाना	टीसीआर एवं टीआई, तेलंगाना	हैदराबाद
22	त्रिपुरा	जनजातीय अनुसंधान एवं सांस्कृतिक संस्थान, त्रिपुरा	अगरतला
23	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश	लखनऊ
24	पश्चिम बंगाल	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल	कोलकाता
25	मेघालय	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
26	उत्तराखंड	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, उत्तराखंड	देहरादून
27	गोवा	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गोवा	पणजी
28	लद्दाख	जनजातीय अनुसंधान संस्थान, लद्दाख	कारगिल

अनुलग्नक - II

पिछले 5 वर्षों के दौरान 'टीआरआई को सहायता' योजना के तहत धनराशि के आवंटन/निर्मुक्ति और व्यय का विवरण

राशि (₹) लाख में

क्र. सं.	राज्य	निधि आवंटन/ निर्मुक्त	व्यय/ प्रस्तुत यूसी	निधि आवंटन/ निर्मुक्त	व्यय/ प्रस्तुत यूसी	निधि आवंटन/ निर्मुक्त	व्यय/ प्रस्तुत यूसी	निधि आवंटन/ निर्मुक्त	व्यय/ प्रस्तुत यूसी	निधि आवंटन/ निर्मुक्त	व्यय/ प्रस्तुत यूसी
		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
1	अंडमान और निकोबार	99.00	77.99	0.00		0.00		0.00		0.00	
2	आंध्र प्रदेश	749.58	749.58	500.00	500.00	455.00	455.00	432.75	378.86	219.13	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	253.01	253.01	923.85	923.85	184.15	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	198.75	99.77	235.64	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	504.49	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	211.53	112.36	113.43	0.00
6	गुजरात	0.00	0.00	1719.06	1661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	106.80	106.80	68.05	68.05	50.00	50.00	114.10	52.87	0.00	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	97.00	97.00	308.84	308.84	206.51	206.51	200.00	200.00	170.85	170.85
9	झारखंड	1211.83	1211.83	1654.50	1654.50	0.00	0.00	84.00	82.50	164.96	162.82
10	कर्नाटक	130.00	115.00	106.00	94.00	185.50	123.00	26.35	0.00	184.25	30.00
11	केरल	401.25	398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	738.34	259.45	0.00	121.10	447.00	280.60	484.58	534.94	0.00	345.19
13	महाराष्ट्र	485.01	142.99	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	530.11	0.00	877.01	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मिज़ोरम	825.00	825.00	1512.00	1512.00	1178.22	1178.22	766.65	766.65	53.75	53.75
16	नागालैंड	825.00	825.00	275.00	275.00	0.00	0.00	85.00	79.50	205.00	205.00
17	ओडिशा	819.07	946.86	780.04	629.25	541.96	554.13	605.80	568.05	313.16	365.30
18	राजस्थान	214.00	97.09	0.00	0.00	8.89	0.00	215.34	0.00	0.00	0.00
19	सिक्किम	194.50	194.50	82.50	82.50	144.00	0.00	273.30	0.00	0.00	0.00
20	तमिलनाडु	177.25	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	135.09	71.13	0.00	30.00
21	तेलंगाना	454.00	454.00	557.25	557.25	375.75	375.75	548.95		0.00	0.00
22	त्रिपुरा	316.14	316.14	335.52	230.25	0.00	0.00	44.29	43.19	0.00	0.00
23	उत्तर प्रदेश	47.85	31.80	0.00	0.00	35.15	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00
24	पश्चिम बंगाल	380.15	155.15	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	मेघालय	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66.22	66.22	0.00	0.00
26	उत्तराखंड	0.00	0.00	693.00	680.74	2183.48	2183.48	1400.75	912.82	0.00	496.38
27	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	41.82	111.75	83.10	0.00	0.00

*****